न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 49/2019

1– धर्माराम पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल।
2– राजेन्द्र पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल।
3– सुमन पुत्री सोहनराम उर्फ सोहनलाल।
4– सोहनराम उर्फ सोहनलाल पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल जिला नागौर।

..............वादीगण

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1–अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका वादीगण की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 03.06.2019

वाद वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण के बडेर की पुश्तनी भूमि मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 618 रकबा 74.19 बीघा, ख.नं. 635 रकबा 1.02 बीघा गै.मु. बाड़ा, खेत ख.नं. 1277/581 रकबा 16.05 बीघा कुल खेताय 3 जिनका कुल रकबा 92.06 बीघा रहती चली आई है। वादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2073 को कर लिया है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:–

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क,ख व ग के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार होने के कारण जवाब मांगा गया। जो कि तय समय तक नहीं दिया गया इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादीगण सं. 01 से 04 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में वादीगण सं. 01 से 04 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. वादी संख्या 01 धर्माराम के हकबंट में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 618 रकबा 74.19 बीघा में से 14 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 1277/581 रकबा 16.05 बीघा सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 02 राजेन्द्र के हकबंट में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 618 रकबा 74.19 बीघा में से 30 बीघा पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 3 सुमन ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना हिस्सा सहमति से भाईयों में बाटने में सहमत होने के कारण उनके हिस्से जमीन नहीं रखी।
4. वादी सं. 4 सोहनराम उर्फ सोहनलाल के हकबंट में मौजा छापड़ के खेत खसरा नम्बर 618 रकबा 74.19 बीघा में से 30.19 बीघा मध्य भाग नजरी नक्शानुसार, खसरा नं. 635 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा गै.मु. बाड़ा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner